न्यायालय श्रीमान ~~अतिरिक्त आयुक्त~~ महोदय, (राजस्व) ~~इन्दौर संभाग~~ इन्दौर
राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुर्न0 निगरानी/क्र0/ /2016 निग - 1302 - PBR - 16

(1) तेरसिंह पिता केरिया जाति भिलाला
(2) मडिया पिता केरिया जाति भिलाला
(3) नुराबाई बेवा केरिया जाति भिलाला
सभी का धंधा खेती, निवासी ग्राम मोहनपुरा
तहसील गंधवानी जिला धार म0प्र0

---------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

रुखडिया कथीत पिता मंगत्या जाति भिलाला
उम्र लगभग 75 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम
देवनालिया, पो0ठ0 उदयनगर, तह0 बांगली जि0
देवास, म0 प्र0 ------------ विपक्षी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री मोहनलाल पाटीदार
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26/3/2016
को प्रस्तुत।
214) 26.03.2016
लिपिक
आयुक्त कार्यालय

पुर्ननिरीक्षण ~~अपील~~ धारा 50 म0 प्र0भू0रा0 सं0 1959 के तहत ::
विद्वान तहसीलदार महोदय गंधवानी के न्या0 के
राजस्व प्र0क्र0 44/2015-16/अ-27/ में
पारित आदेश दि. 22. 3. 2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में प्रार्थीगण कीओर से निगरानी अर्ज सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि :-

प्रार्थीगण के एकांकी स्वत्व आधिपत्य में ग्राम मोहनपुरा तहसील गंधवानी

R 1302-DBR/16 धार

21.4.2016

आवेदकगण की ओर से श्री मोहन पाटीदार अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.3.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं कर फर्द बटवारा बनाया जा रहा है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 22.3.2016 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि सर्व प्रथम आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करें। तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें।

अध्यक्ष